

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दादाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी
1. चांदप्रकाश शर्मा पुत्र गोविन्द
नारायण शर्मा
जाति ब्राहमण निवासी ग्राम
चकवाडा तह. फागी जिला
जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. हरिमोहन पुत्र स्व. हरसहाय
जाति ब्राहमण(दोराने दावा फोट)
1/1 रुपकान्ता पत्नि स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण
- 1/2 कमलेश पुत्र स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण
- 1/3 विमल पुत्र स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण
- 1/4 सुमन पुत्री स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण
- 1/5 सुनिता पुत्री स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण समस्त निवासी
दोपहरियों का मोहल्ला बस्सी।
2. राधामोहन पुत्र स्व. हरसहाय
जाति ब्राहमण नि. कुम्हारों का
मोहल्ला बस्सी।
3. कैलाश चन्द पुत्र स्व. हरसहाय
जाति ब्राहमण निवासी कुम्हारों का
मोहल्ला बस्सी।
4. शांति देवी पत्नि कैलाश चन्द शर्मा
निवासी बैनाडा तह. बस्सी।
5. विमला देवी पत्नि बसंती लाल शर्मा
जाति ब्राहमण निवासी सावित्री
स्कूल के सामने वाली गली म.नं.
48/50 सिविल लाइन अजमेर।
6. संतोष देवी पत्नि स्व. दिनेश चन्द
शर्मा जाति ब्राहमण निवासी
बगरुकलां तह. सांगानेर।
7. हंसा देवी पत्नि नोरतन शर्मा जाति
ब्राहमण निवासी नरेना रोड ग्राम
दूदू तह. दूदू जिला जयपुर।
8. इन्द्रा देवी पत्नि राजेश कुमार शर्मा
जाति ब्राहमण निवासी मुकाम पोस्ट
बैनाडा तह. बस्सी।
9. रामजीलाल पुत्र रामनिवास जाति
हरि. ब्राहमण निवासी पोटल्या
मार्केट के पीछे गंगाधाम मोड
बस्सी।
10. जगदीश नारायण पुत्र गुल्लाराम
जाति गुर्जर निवासी ग्राम
हरिरामपुरा तह. बस्सी।
11. रामकरण पुत्र गुल्लाराम जाति
गुर्जर निवासी ग्राम हरिरामपुरा तह.

3/2/20

- बस्सी।
12. लालाराम पुत्र गुल्लाराम गुर्जर निवासी हरिरामपुरा तह. बस्सी
 13. राज. सरकार जरिये तहसीलदा बस्सी।
 14. सबरजिस्ट्रार बस्सी।
 15. बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक कल्याणपुरा तह. बस्सी।

मुकदमा नम्बर 293/16

दावा बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.05.2018

वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 11 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा ख.नं. 25 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल कित 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम हरिरामपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में हरसहाय की फौतगी का नामान्तकरण 1998 में खोला गया था तथा हरसहाय की पुत्री मगनी वर्ष 2009 में फोट हो गयी थी। उक्त नामान्तकरण को खुले करीब 20 वर्ष हो गये। इन 20 वर्षों की अवधि में हरसहाय के वारिसान के नाम खुले नामान्तकरण को हरसहाय की पुत्री मगनी ने अपने जीते जी कभी चुनौती नहीं दी। ऐसी स्थिति में वादी को चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है। निजी.....मुबलिक.....

बाबत.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.18 को जारी किया गया।



मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी	
दाना			दावा	
स्टाम्प			स्टाम्प	
बकालतनामा			बकालतनामा	
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत	
सबूत			सबूत	
महन्ता वकील			महन्ता वकील	
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय			बाबत इजराय	
हुक्मनामा			हुक्मनामा	
मुतफरिक			मुतफरिक	
मीजान			मीजान	

दस्तख्त.....
 मोहदा.....
 18.5.18
 सहायक कलक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बस्सी, जिला जयपुर

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 बस्सी

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

बनाम

प्रतिवादी

1. चांदप्रकाश शर्मा पुत्र गोविन्द
नारायण शर्मा
जाति ब्राहमण निवासी ग्राम
चकवाडा तह. फागी जिला
जयपुर।

1. हरिमोहन पुत्र स्व. हरसहाय
जाति ब्राहमण(दोराने दावा फोट)
1/1 रुपकान्ता पत्नि स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण
1/2 कमलेश पुत्र स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण
1/3 विमल पुत्र स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण
1/4 सुमन पुत्री स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण
1/5 सुनिता पुत्री स्व. हरिमोहन
जाति ब्राहमण समस्त निवासी
दोपहरियों का मोहल्ला बस्सी।
2. राधामोहन पुत्र स्व. हरसहाय
जाति ब्राहमण नि. कुम्हारों का
मोहल्ला बस्सी।
3. कैलाश चन्द पुत्र स्व. हरसहाय
जाति ब्राहमण निवासी कुम्हारों
का मोहल्ला बस्सी।
4. शांति देवी पत्नि कैलाश चन्द
शर्मा निवासी बैनाडा तह. बस्सी।
5. विमला देवी पत्नि बसंती लाल
शर्मा जाति ब्राहमण निवासी
सावित्री स्कूल के सामने वाली
गली म.नं. 48/50 सिविल
लाइन अजमेर।
6. संतोष देवी पत्नि स्व. दिनेश
चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी
बगरुकलां तह. सांगानेर।
7. हंसा देवी पत्नि नोरतन शर्मा
जाति ब्राहमण निवासी नरेना रोड
ग्राम दूदू तह. दूदू जिला जयपुर।
8. इन्द्रा देवी पत्नि राजेश कुमार
शर्मा जाति ब्राहमण निवासी
मुकाम पोस्ट बैनाडा तह. बस्सी।
9. रामजीलाल पुत्र रामनिवास जाति
हरि. ब्राहमण निवासी पोटल्या
मार्केट के पीछे गंगाधाम मोड
बस्सी।
10. जगदीश नारायण पुत्र गुल्लाराम
जाति गुर्जर निवासी ग्राम

Contd--2

- हरिरामपुरा तह. बस्सी।
11. रामकरण पुत्र गुल्लाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिरामपुरा तह. बस्सी।
 12. लालाराम पुत्र गुल्लाराम गुर्जर निवासी हरिरामपुरा तह. बस्सी।
 13. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।
 14. सबरजिस्ट्रार बस्सी।
 15. बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक कल्याणपुरा तह. बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.05.2018

मुकदमा नम्बर 293/16

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मनोहरपुरा में पेश हुई। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। जिनकी पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा ने की है। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र मय हरसहाय का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रतिवादीगण को वाद पत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वाद ग्रस्त आराजी ख.नं. 11 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा ख.नं. 25 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम हरिरामपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में हरसहाय की फौतगी का नामान्तकरण 1998 में खोला गया था तथा हरसहाय की पुत्री मगनी वर्ष 2009 में फोन हो गयी थी। उक्त नामान्तकरण को खुले करीब 20 वर्ष हो गये। इन 20 वर्षों की अवधि में हरसहाय के वारिसान के नाम खुले नामान्तकरण को हरसहाय की पुत्री मगनी ने अपने जीते जी कभी चुनौती नहीं दी। ऐसी स्थिति में वादी को चाही गई रिलिफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है डिक्ली पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 18.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मनोहरपुरा में मजमे आम में सुनाया गया।

Brnd
18.5.18
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी बस्सी जयपुर